



लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)  
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़  
पीठासीन अधिकारी तारा चन्द मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या / 50 / 2021 (सू.अ.)  
पंजीयन दिनांक:- 08.04.2021  
GCMS NO:- 2021/166

श्री अब्दुल हसीब पुत्र श्री अब्दुल अजीज निवासी कोर्ट परिसर, रावतभाटा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

निर्णय

दिनांक 04.05.2021



सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 26.02.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 50/2021/(04.05)/317 दिनांक 07.04.2021 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 04.05.2021 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 04.05.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/173 दिनांक 26.04.2021 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:-



लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी  
(जिला कलक्टर)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)



प्रकरण संख्या 50/2021 (सू.अ.) श्री अब्दुल हसीब निवासी कोर्ट परिसर, रावतभाटा बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
--

1. यह कि प्रार्थी श्री अब्दुल हसीब पिता अब्दुल अजीज निवासी कोर्ट परिसर, रावतभाटा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 26.02.2021 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 02.03.2021 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही जा रही सूचना के समस्त तथ्य प्रश्नात्मक है।
3. यह कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के परिपत्र क्रमांक/प-3(22)प्रसू/सूअसप्र/06 दिनांक 02.02.2009 के तहत यह व्यवस्था प्रदान की है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के तहत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।
4. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/2750 दिनांक 08.03.2021 से प्रार्थी को अवगत कराया गया। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
5. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/173 दिनांक 26.04.2021 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। चूंकि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक/प.3(22)प्रसू/सूअ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 अनुसार "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित

२ ३  
लोक सूचना अपीलार्थी  
(जिला कलक्टर)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)





<p>प्रकरण संख्या 50/2021 (सू.अ.)  श्री अब्दुल हसीब निवासी कोर्ट परिसर, रावतभाटा बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़</p>
--

करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।" जिससे अपीलार्थी को, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/2750 दिनांक 08.03.2021 से सूचित किया जा चुका है।

चूंकि अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा जरिये पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/2750 दिनांक 08.03.2021 से सूचित किया जा चुका है जिससे अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

२ ३

(तारा चन्द मीणा)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी  
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी  
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक:- 04/05/2021



क्र./सरिश्ता/प्र.सं./50/2021(सू.अ.)/५०।

प्रतिलिपि:-

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री अब्दुल हसीब पिता अब्दुल अजीज निवासी कोर्ट परिसर, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़

२ ३

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी  
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी  
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)